



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण


भूखण्ड संख्या - 01, सेक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

सार्वजनिक सूचना

प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड / विल्टअप हाउसिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण बोर्ड की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 के अनुपूरक मद संख्या 114/2 में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की पूर्व निर्धारित दर रु 1465.00 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर संशोधित दर रु 1287.00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी है। यह देयता दिनांक 01.05.2013 से आगणित की गयी है तथा इस पर दिनांक 31.05.2019 तक प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि दिनांक 31.05.2019 तक आगणित धनराशि के सापेक्ष, आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए, यदि कोई धनराशि अधिक निकलती है तो उसको नियमानुसार आवंटियों को विना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ऐसे समस्त आवंटियों की सूची, जिनकी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि नयी गणना के अनुसार अधिक है। प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है।

उक्त सूची में अपना नाम स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर अतिरिक्त धनराशि रिफण्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति के साथ मूल निरस्त चैक (Cancel Chque) व 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के जमा धनराशि के चालान की छायाप्रति स्वयंहस्ताक्षरित कर प्राधिकरण में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध कराते हुए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष जमा अधिक धनराशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं।


सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)